<u>न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।</u>
<u>वैशाली, हाजीपुर।</u>

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–469/2026+अग्रिम जमानत आवेदन सं0–822/2026
सराय थाना कांड सं0–303/2025
धारा–126(2), 115(2), 64, 76, 85, 62, 3(5) B.N.S. & ¾ D.P. Act.

15.04.2026 प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन सं0–469/2026 आवेदकगण महोखिया देवी, भोजेन्द्र राय एवं पुजा कुमारी की ओर से एवं अग्रिम जमानत आवेदन सं0–822/2026 आवेदक चंदन कुमार की ओर से अलग अलग दाखिल किया गया है दोनो अग्रिम जमानत आवेदन दर्ज मुकदमा सराय थाना कांड सं0–303/2025 मे गिरफ्तारी की आशंका से दाखिल किया गया है। प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। दोनो अग्रिम जमानत आवेदन एक ही थाना कांड सं0 से संबंधित है जिस कारण एक साथ सुनवाई प्रारम्भ किया गया। अग्रिम जमानत आवेदन सं0–469/2026 में पारित आदेश ही अग्रिम जमानत आवेदन सं0–822/2026 का भी आदेश माना जायेगा।

संक्षेप मे प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि इस वाद की सूचिका अमिशा कुमार द्वारा पुलिस पदाधिकारी के समक्ष अपना फर्दबयान दिया गया कि "मेरी शादी दिनांक 08.12.2021 हिंदु रिति रिवाज से चंदन कुमार के साथ हुयी थी पिता जी उपहार स्वरूप समान दिये थे। शादी के बाद सब ठीक था परंतु कुछ दिन बाद मेरे परिवार के पुरे सदस्य दहेज मे दो भर सोने का चैन एवं व्यवसाय करने के लिए पॉच लाख रूपया मांगने लगे मेरे द्वारा इंकार किया गया तो मुझे प्रताड़ित करने लगे इसकी सूचना मैने अपने पिताजी को दिया तो वे आये और पंचायती करके सभी को समझाये। इसी बीच दिनांक 05. 11.2025 को मेरे परिवार के सभी सदस्य कार्तिक पूर्णिमा के दिन हाजीपुर चले गये थे मै घर मे थी तब मेरे देवर कुन्दन कुमार घर मे घुसकर मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया जब मै विरोध किया तो मेरे मुँह मे कपड़ा ठुस दिया तथा मेरा पैर बॉध दिया, मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया जिससे मै खुन से लथपथ हो गयी और जोर जोर से चिल्लाने लगी तब मुझे छोड़कर भाग गया तथा इसका विडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करने लगा जब मेरे परिवार के लोग वापस लौटे तो सारी बाते बताये तब वे लोग प्रतिष्ठा के कारण चुप रहे। दिनांक 11.11.2025 को पुन मेरा देवर कुन्दन कुमार मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा जब मै विरोध की तो देवर कुन्दन कुमार, पति चंदन कुमार, सॉस महोखिया देवी, ससुर मोजेन्द्र राय, ननद पुजा कुमारी, टिंकी कुमारी, ननदोई संजय राय जान मारने के नियत से लाठी, डंडा एवं तलवार से मुझे मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया,

Web Copy not Official

मेरी स्थिति को गंभीर देखते हुए ग्रामीणो द्वारा मुझे सदर अस्पताल हाजीपुर लाया गया जहां मेरी ईलाज चल रही है।"

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदकगण की ओर से कोई अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायाल, पटना मे प्रस्तुत प्राथमिकी के संदर्भ मे दाखिल नही किया गया है। आवेदकगण का कोई अपराधिक इतिहास नही है। आवेदकगण निर्दोष है तथा आवेदकगण द्वारा बलात्कार की घटना कारित नही किया गया है और न ही मारपीट किया गया है। आवेदकगण द्वारा दहेज की मांग नही किया गया है। आवेदकगण निर्दोष है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत देने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदकगण के उपर बलात्कार करने का प्रत्यक्ष आरोप नही है केवल दहेज के संबंध मे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। सूचिका न्यायालय मे उपस्थित है और वह अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध नही करना चाहती है। अतः आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि आवेदकगण आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को सदेह उपस्थित रहेगा। आवेदकगण को निर्देश दिया जाता है कि दो सप्ताह के भीतर निम्न न्यायालय मे आत्मसमर्पण करे तथा आवेदकगण की ओर से 10,000–10,000 (दस–दस हजार) रूपये के समान दो–दो जमानतदार का बंधपत्र दाखिल किये जाने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Date of Judgment/Order	15-04-2026
Date of Reserving Judgment/Order	15-04-2026
Uploading Date	16-04-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar

Web Copy Not Official